



फाइल नम्बर: 9-HRC093/2020-CHA

दिनांक: 27.04.2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा
(cffebranchkula@gmail.com)

विषय: Diversion of 13.684 ha of forest land (closed under section 4 & 5 of PLPA 1900) in favour of Manav Rachna International Institute of Research and Studies along Badkhal-Surajkund road, R/side, under forest division and District Faridabad, Haryana (online proposal no. FP/HR/ SCH/41500/2019)

सन्दर्भ: 1. Minutes of the REC meeting held on 15.04.2021.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **13.684 ha** वन भूमि की मांग की गई है।

2. इस प्रस्ताव को REC के meeting में चर्चा की गई जिसमें समिति ने नोडल अधिकारी हरियाणा से पुछा कि क्या इस प्रस्ताव में Forest (Conservation) Act, 1980 लागू होता है या माननीय Supreme Court का judgement जो कि दिनांक 12.12.2996 को T.N Godavarman Thirumulpad Vs UOI & Others में दिया गया था। अतः निम्न नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

i) State Government to verify/clarify whether violation of Forest (Conservation) Act, 1980 is applicable in this case or not.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(के जेड भुटिया)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

1. Divisional Forest Officer, Forest Division and District Faridabad, Haryana (dfo.frbad-hry@nic.nic)
2. Sub Manav Rachna International Institute of Research and Studies along Badkhal-Surajkund road, R/ side , Faridabad (shashibhushan4777@gmail.com)